न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 573 सन 2022

अनवान :–

1. सुरेन्द्रपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर
2. शकुन्तला पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. शीला पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. सैना पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. अशोक पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
10. प्रहलादराम पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सुभाषचन्द्र पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
12. किरण पुत्री सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
13. इन्द्रजीत पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 131/110 की कुल 0.253हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रामेश्वलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने व रामेश्वरलाल की पुत्री सन्तोष के देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने एवं रामेश्रलाल की पुत्रीया तथा प्रवितादी संख्या 6 ता 13 वादी की बहन सन्तोष के वारिसान पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जो वादी की माता/बहन /मृतक बहने के वारिसान है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 13 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामेश्वरलाल के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/मामा वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 131/110 की कुल 0.253हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रामेश्वलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने व रामेश्वरलाल की पुत्री सन्तोष के देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने एवं रामेश्रलाल की पुत्रीया तथा प्रवितादी संख्या 6 ता 13 वादी की बहन सन्तोष के वारिसान पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 131/110 की कुल 0.253हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रामेश्वलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने व रामेश्वरलाल की पुत्री सन्तोष के देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हको का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 131/110 की कुल 0.253हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेन्द्रपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर
2. शकुन्तला पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. शीला पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. सैना पुत्री रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. अशोक पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
10. प्रहलादराम पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सुभाषचन्द्र पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
12. किरण पुत्री सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
13. इन्द्रजीत पुत्र सन्तोष जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 573 सन 2022 निर्णय दिनांक– 25/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 131/110 की कुल 0.253हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/7/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner